Result Mitra Daily Magazine

नगरीय स्थानीय प्रशासन और एल्डरमैन की भूमिका

❖ हालिया संदर्भ :

- अपना फैसला 15 महीने तक सुरक्षित रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि केन्द्र द्वारा नियुक्त दिल्ली के उपराज्यपाल के पास दिल्ली सरकार के मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना दिल्ली नगर निगम (MCD) में "एल्डरमैन" को नामित करने का अधिकार है।
- जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और पी.वी. संजय कुमार की पीठ ने माना कि MCD एक्ट, 1957 (DMC एक्ट), दिल्ली के उपराज्यपाल यानि LG को मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना 'एल्डरमैन' को नियुक्त करने का स्पष्ट अधिकार देता है।
- दरअसल जनवरी 2023 में LG ने उपरोक्त एक्ट के धारा-3 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 एल्डरमैन को नामित किया था, जिसकी वैधता पर सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद MCD के प्रमुख कार्य रूके पडे थे।

❖ "एल्डरमैन"

- DMC एक्ट, 1957 के तहत दिल्ली को 12 भागों में विभाजित किया गया है।
- इस एक्ट के तहत प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक 'वार्ड समिति' के भी गठन का प्रावधान है, जिसका निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि और एल्डरमैन करते हैं।

- DMC एक्ट, 1957 के धारा-3 के तहत दिल्ली के LG को 10 एल्डरमैन को नामित करने का अधिकार है।
- एल्डरमैन की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिये तथा उसे नगरपालिका प्रशासन में कार्यों का विशेष अनुभव होना चाहिए।
- एल्डरमैन को MCD की बैठकों में वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन वे वार्ड समिति के माध्यम से इसके कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- 12 वार्ड समितियों में से प्रत्येक को अपनी पहली बैठक में MCD स्थायी समिति का हिस्सा बनने के लिए एक सदस्य का चुनाव करना होता है।
- एल्डरमैन इन चुनावों में मतदान कर सकते हैं एवं स्थायी समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए स्वयं भी उम्मीदवार हो सकते हैं।
- 6 अन्य स्थायी समिति के सदस्यों को महापौर (Mayer) के चुनावों के बाद MCD सदन द्वारा सीधे चुना जाता है।
- Mayer यानि महापौर MCD का नाममात्र का प्रमुख होता है।
- स्थायी समिति निगम के कार्यों का प्रबंधन करती है एवं मतदान प्रक्रिया (स्थायी समिति के चुनाव) बिना एल्डरमैन की भागीदारी के संपन्न नहीं होता।

➢ स्थायी समिति के बिना MCD निम्न शर्तों को नहीं कर सकती है :-

- 5 करोड रूपए से ज्यादा व्यय वाले अनुबंध
- MCD अधिकारियों की प्रमुख पदों पर नियुक्ति,
- बजट संशोधन की सिफारिश करना,
- चालू वित्तीय वर्ष के अलावा किसी व्यय से संबंधित किसी शक्ति का प्रयोग करना,

❖ दिल्ली विशेष प्रावधान :

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-239 AA में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान है।
- इसमें मुख्य रूप से दिल्ली विधानसभा, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री एवं दिल्ली LG के कार्यालयों का वर्णन है।
- इस अनुच्छेद में वर्णित है कि दिल्ली मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री दिल्ली LG को उन मामलों में सलाह या उन कार्यों को करने में सहायतार्थ सलाह देंगे, जिनके संबंध में कानून बनाने की शक्ति दिल्ली विधान सभा के पास है।

- उन मामलों में LG को मंत्रिपरिषद की सलाह की कोई आवश्यकता नहीं होगी, जिसमें किसी कानून के तहत LG को विवेक से कार्य करने की शक्ति प्राप्त हैं।

➢ दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची में सम्मिलित निम्न 3 विषयों के अलावा सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है :

1. सार्वजनिक व्यवस्था (प्रविष्टि 1)
2. पुलिस (प्रविष्टि 2)
3. भूमि (प्रविष्टि 18)

➢ उपरोक्त तीनों मामले में दिल्ली LG को केन्द्र सरकार से सलाह प्राप्त होता है।

नोट :- दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' का दर्जा प्राप्त हुआ।

❖ मामला और विवाद :

- Dec 2022 में आम आदमी पार्टी ने नगर निगम चुनाव जीता।
- AAP को MCD की कुल 250 सीटों में से 134 सीटें प्राप्त हुई।
- AAP की जीत ने दिल्ली में पिछले 15 सालों से BJP की MCD में विजय अभियान को रोक दिया।
- 3 जनवरी 2023 को LG ने 10 एल्डरमैन को नामित करने की अधिसूचना जारी की एवं अगले दिन इन नामों में 2 बदलाव किए जाने की अधिसूचना जारी की गई।
- दिल्ली सरकार ने Mar 2023 मे सुप्रीम कोर्ट में उपरोक्त दोनों अधिसूचनाएं रद्द करने के संबंध में याचिका दायर की।
- दिल्ली सरकार ने तर्क दिया कि अधिसूचनाएं अवैध थी क्योंकि LG ने मंत्रिपरिषद से इस मामले पर कोई सलाह नहीं लिया।
- दरअसल दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले का सहारा लिया।
- SC ने 2018 में फैसला सुनाया था कि दिल्ली के LG राज्य और समवर्ती सूची के सभी विषयों (उपरोक्त वर्णित 3 विषयों को छोडना) से संबंधित सभी मामलों में दिल्ली मंत्रिपरिषद के सलाह-अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है।
- विवाद में दिल्ली LG ने तर्क दिया कि DMC एक्ट, 1957 के तहत LG के लिए विशेष रूप से भूमिका तैयार किया गया है, जो उसे एल्डरमैन को नियुक्त करने का अधिकार देता है। और इसके लिए उसे सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

❖ नगरीय प्रावधान :

- भारत में 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन है -

1. नगर निगम
2. नगर पालिका
3. अधिसूचित क्षेत्र समिति
4. शहरी क्षेत्र समिति
5. विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी
6. छावनी बोर्ड
7. पत्तन-न्यास
8. टाउनशिप

नोट :- नगरीय शासन प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन एक्ट, 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला।

- इस संशोधन के तहत संविधान में अनुसूची-12 जोडा गया, जिसमें नगरपालिकाओं को 18 विषयों पर शक्ति प्रदान किया गया है।
- साथ ही इस संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा संविधान में भाग-9A जोडा गया।

❖ नगरपालिका :

- 1992 का एक्ट प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार के नगरपालिकाओं की संरचना का प्रावधान करता है:-

1. **नगर पंचायत :-** ऐसा क्षेत्र, जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो,
2. **नगरपालिका परिषद :-** छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए,
3. **नगर निगम :-** बडे शहरी क्षेत्रों के लिए।

❖ चुनाव एवं कार्यकाल :

- नगरपालिका की निर्वाचन प्रक्रियाओं का प्रबंधन राज्य निर्वाचन आयोग करेगा।
- इस चुनाव से संबंधित सभी मामलों पर राज्य विधानसभा कानून बनाने की शक्ति रखता है।
- सामान्यत: इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन इसे 5 वर्ष से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है।
- 5 वर्ष बाद या विघटन होने की दशा में, विघटन की तिथि से 6 महीने के अंदर नई नगरपालिका/नगर निगम का गठन हो जाना चाहिए।
- नगरपालिका के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा चुना जाता है।

- नगर निगमों को कई वार्डों में विभक्त किया जाता है एवं प्रत्येक को एक वार्ड कहा जाता है, जिसके विजयी प्रतिनिधि को Ward Councillor या वार्ड पार्षद या निगम पार्षद कहा जाता है।

❖ वार्ड समिति :

- 3 लाख या ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र में एक या अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति का गठन किया जाता है।
- वार्ड समिति की संरचना, क्षेत्र निर्धारण एवं पदों को भरने के संबंध में राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है।

❖ आरक्षण :

- 74 वां संविधान संशोधन एक्ट SC एवं ST को जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
- इस एक्ट में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों पर आरक्षण का प्रावधान है।

❖ नगर निगम :

- दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एवं बेंगलुरू जैसे बडे शहरों के लिए।
- संबंधित राजय विधानमंडल द्वारा एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के मामले में संसद द्वारा इस संबंध में एक्ट बनाए जाते हैं।

➢ नगर निगम में तीन प्राधिकरण है :

1. **परिषद :-** लोगों द्वारा निर्वाचित पार्षद (Councillors) इसके सदस्य होते है।
2. **स्थायी समिति :-** यह परिषद के कार्यों को आसान बनाने के लिए गठित किया जाता हैं।
    - यह आकार में काफी बडी होती है।
3. **आयुक्त :-** यह परिषद एवं स्थायी समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करवाने के लिए जिम्मेदार होता है।
    - यह नगरनिगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है।
    - इसकी नियुक्ति राज्यों में राज्य विधानमंडल द्वारा एवं केन्द्र शासित प्रदेश के मामले में गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रशासक/LG की सलाहकारी भूमिका होती है।

❖ मेयर (महापौर)

- यह परिषद का प्रधान होता है।
- यह परिषदों की अध्यक्षता करता है।
- इनकी सहायता के लिए उपमहापौर या उपमेयर भी होता है।
- इसका निर्वाचन पार्षदों द्वारा या कहीं-कहीं प्रत्यक्ष रूप से भी निर्वाचित किया जाता है।
- यह नगर निगम का औपचारिक प्रमुख होता है और पहला नागरिक होता है।

Result Mitra